न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1084–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–10–2012 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील खकनार जिला बुरहानपुर प्रकरण कमांक 2/अ–70/2007–08.

1–ठाकुर विजयसिंह पिता रामनाथसिंह गौतम
2–ठाकुर संजयसिंह पिता रामनाथ सिंह गौतम
दोनों निवासी ग्राम तुकईथर्ड तहसील खकनार,
जिला बुरहानपुर म0प्र0

.............आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती माणिकबाई उर्फ मानकबेन पति परसराम पटेल,
निवासी मोहल्ला राजपुरा बुरहानपुर के आम मुख्त्यार
उमेश कुमार पिता परसराम पटेल निवासी राजपुरा
जिला बुरहानपुर म0प्र0

.............अनावेदक

....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री विनोद सुगंधी, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/12/2015 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील खकनार जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि

ग्राम मेलचुका तहसील खकनार जिला बुरहानपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 69, 70 व 72 रकबा कमशः 0.25, 3.27 एवं 1.76 हेक्टेयर कुल रकबा 5.28 हेक्टेयर उसके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और वह बृद्ध महिला है । उसने अपनी भूमि को आवेदकगण को अघ–बटाई पर काश्त करने हेतु दी थी । इस वर्ष वह भूमि आवेदकगण को काश्त करने हेतु नहीं देना चाहती थी, परन्तु उनके द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदिका को दिलाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–70/2007–08 दर्ज दिनांक 30–9–2010 को आदेश पारित कर आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–11–2010 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 30–9–2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण मूल न्यायालय नायब तहसीलदार खकनार को इस निर्देश के साथ वापिस किया गया कि आवेदकगण को साक्ष्य का अवसर प्रदान कर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत विधिवत् आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 18–5–2011 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के पश्चात् प्रकरण तहसीलदार को प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–70/2010–11 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदिका द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 के अन्तर्गत एवं व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 26 नियम 1 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदकगण द्वारा भी व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–10–2012 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत तहसीलदार के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें उसने स्वयं भूमि अघ–बटाई पर आवेदकगण को दिया जाना स्वीकार किया है । प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण कब्जा है, इसलिये संहिता की धारा 250 के प्रावधान लागू नहीं होकर संहिता की धारा 189 के प्रावधान लागू होते है। इसी कारण आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है ।

(2) संहिता की धारा 189 के प्रावधानों के अनुसार मौरूषी कृषक में धारित भूमि का कब्जा भूमिस्वामी द्वारा पुनः ग्रहण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके निराकरण का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को है, इस कारण अनावेदिका की ओर से प्रचलित आवेदन प्रचलन योग्य नहीं था ।

(3) तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 एवं 189 के प्रावधान को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में न तो प्रकियात्मक त्रुटि की गई है और न ही विधि का उल्लघंन किया गया है, इस कारण यह निगरानी निरस्ती योग्य है ।

(2) आवेदकगण द्वारा तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नहीं होने संबंधी जो आपत्ति उठाई गई है वह आपत्ति प्रारंभिक रूप से प्रचलन योग्य नहीं है, क्योंकि अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 168(1) के अन्तर्गत मात्र 1 वर्ष के लिये भूमि अघ–बटाई पर दी गई थी, इस कारण संहिता की धारा 168(4) के अन्तर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनुविभागीय अधिकारी

को नहीं आता है । यदि अनावेदिका द्वारा एक वर्ष से अधिक समय के लिये भूमि अघ–बटाई पर दी जाती है, तब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना होता है, परन्तु केवल एक वर्ष के लिये अघ–बटाई पर दिये जाने के कारण संहिता की धारा 250 के प्रावधान लागू होते हैं, अतः तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(3) संहिता की धारा 168(4) के अन्तर्गत संहिता की धारा 168(2) के अनुसरण में दी गई भूमि के कब्जा वापिसी हेतु अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है, परन्तु चूँकि अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 168(2) के अनुसरण में आवेदकगण को भूमि कृषि हेतु नहीं दी गई है, इसलिये संहिता की धारा 168(4) एवं 189 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और 2 वर्ष के भीतर कब्जा वापिस लेने हेतु संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत तहसीलदार को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है ।

तर्क के समर्थन में 1980 आर.एन. 109 एवं 408 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदिका की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 व आदेश 26 नियम 01 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्रों एवं आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदनों पर तहसीलदार द्वारा बिन्दुवार विस्तार से विवेचना करते हुये आदेश पारित किया गया है । अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 का आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया गया है कि पूर्व में अनावेदिका के प्रकरण में रूचि नहीं लेने के कारण सामान्य साक्ष्य लेते हुये आदेश पारित किया गया था, परन्तु अब वरिष्ठ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देकर निराकरण हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, इसलिये अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य ग्राह्य योग्य है । इसी प्रकार अनावेदिका की ओर से आदेश 26 नियम 1 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र भी इस निष्कर्ष

के साथ स्वीकार किया गया है कि अनावेदिका 79 वर्ष की वृद्ध महिला है, जो कि न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हो सकती है इसलिये कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाना उचित है और अधिवक्ता रघुनाथ महाजन को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है । इसी प्रकार आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि संहिता की धारा 189 प्रकरण में लागू नहीं होती है इसलिये तहसील न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा विधिसंगत निष्कर्ष निकालकर तीनों आवेदन पत्रों को निरस्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, इस कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील खकनार जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—10—2012 द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर